भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या: 2526
गुरुवार, 13 मार्च, 2025/22 फाल्गुन, 1946 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

सुरक्षा और अनुरक्षण विनियमों का अनुपालन

2526. श्री सचिदानन्दम आर.:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने विमान के इंजनों के लिए सभी सुरक्षा और अनुरक्षण विनियमों का एयरलाइन प्रचालकों द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए उपाय किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस संबंध में नियमों का उल्लंघन करने वाले विमान सेवाप्रदाताओं पर भारी जुर्माना लगाने की समिति की सिफारिश के अनुसार जुर्माना लगाने की विधि शुरू की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन कंपनियों का ब्यौरा क्या है जिन्हें विमान इंजन सुरक्षा मानकों का अनुपालन नहीं करने के लिए विगत दो वर्षों के दौरान दंडित किया गया है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) : जी हां। नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) केवल उन्हीं विमानों और इंजनों के आयात की अनुमति देता है जो स्टेट ऑफ डिजाइन द्वारा प्रमाणित होते हैं, जैसे कि फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (एफएए), यूरोपीय एविएशन सेफ्टी एजेंसी (ईएएसए), ट्रांस्पोर्ट कनाडा आदि, और डीजीसीए द्वारा स्वीकृत टाईप के होते हैं ।

निर्धारित विनियमन के अनुसार, विमान के रखरखाव की जिम्मेदारी एयरलाइन की होती है, जिसे यह सुनिश्चित करना होता है कि विमान और उसके घटकों यानी इंजनों का रखरखाव डीजीसीए द्वारा अनुमोदित रखरखाव कार्यक्रम के अनुसार किया जाए, जो निर्माता/टाईप प्रमाणपत्र धारक और स्टेट ऑफ डिजाइन द्वारा जारी निर्देशों/सिफारिशों के अनुसार तैयार किया गया हो। एयरलाइन/ऑपरेटर यह सुनिश्चित करने के लिए भी जिम्मेदार है कि विमान और उसके इंजनों के रखरखाव के लिए आवश्यक योग्य और अनुभवी जनशक्ति, उपकरण और रखरखाव डेटा सहित कलपुर्जे उपलब्ध हों।

एयरलाइनों/संगठनों और कर्मियों द्वारा विमान इंजन के लिए सभी संरक्षा और रखरखाव विनियमों के पालन हेतु डीजीसीए निगरानी, स्पॉट चेक, रात्रि निगरानी आदि तंत्र के माध्यम से अनुपालन सुनिश्चित करता है। निगरानी, स्पॉट चेक और रात्रि निगरानी के दौरान पाई गई कमियां/निष्कर्ष एयरलाइन को सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए भेजे जाते हैं। उल्लंघन के मामले में, डीजीसीए निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार प्रवर्तन कार्रवाई करता है जिसमें चेतावनी, निलंबन, रद्दीकरण सहित कर्मियों/एयरलाइन पर वित्तीय जुर्माना लगाना शामिल है।

(ख) : डीजीसीए की प्रवर्तन नीति और प्रक्रिया मैनुअल में एयरलाइन/ऑपरेटरों द्वारा नियमों के उल्लंघन के जवाब में प्रवर्तन कार्रवाई निर्धारित करने की प्रक्रियाएँ निर्दिष्ट की गई हैं। प्रवर्तन कार्रवाई में चेतावनी, निलंबन, रद्दीकरण जैसे प्रशासनिक व कर्मियों/एयरलाइन पर वित्तीय जुर्माना लगाने के साथ-साथ अभियोजन जैसी न्यायिक कार्रवाई भी शामिल है।

जुर्माने की राशि विमान नियम, 1937 के नियम 162 की अनुसूची VIB में निर्दिष्ट है। उल्लंघन या उल्लंघन की गंभीरता के आधार पर जुर्माना निर्धारित किया जाता है, जो मामूली उल्लंघन (स्तर 1) के लिए 10,000 रुपये से लेकर गंभीर अपराधों (स्तर 10) के लिए 1 करोड़ रुपये तक होता है। व्यक्तियों और संगठनों के आकार के आधार पर राशि अलग-अलग होती है।

(ग) : इंजन सुरक्षा मानदंडों का अनुपालन न करने पर पिछले दो वर्षों के दौरान कंपनियों पर लगाए गए वित्तीय जुर्माने का विवरण 'अनुलग्नक' के रूप में संलग्न है।

******

अनुलग्नक

पिछले दो वर्षों के दौरान इंजन से संबंधित मुद्दों पर लगाए गए जुर्माने का विवरण

क्र.सं.	संगठन का नाम	उल्लंघन का विवरण	वर्ष	लगाया गया जुर्माना (रु.)
1.	भूषण एविएशन लिमिटेड	वीटी-बीएसएल की तकनीकी लॉग बुक में जालसाजी।	2023	75000
2.	मेसर्स मांडके एंड मांडके	27.10.2022 से 30.12.2022 तक विमान वीटी-एमएएन रॉबिन्सन आर66 (आरआर 300) के डुमास हैलीपैड (सूरत, गुजरात) में व बाहर उड़ान भरने के दौरान एक भी बार इंजन टास्क वाटर रिन्स नहीं किया गया था।	2023	300000
3.	मेसर्स स्काईनेक्स एयरो प्राइवेट लिमिटेड	संगठन ने कार्य आदेश संख्या एसएनए/एलएए/2023-48 दिनांक 23.11.2023 के तहत 04.12.23 को विमान वीटी-एलएए पर एक अस्वीकृत संगठन द्वारा ओवरहाल किया गया इंजन संस्थापित किया गया।	2024	300000
4.	मेसर्स विंग्स एविएशन प्राइवेट लिमिटेड	टेकनम में निर्माता द्वारा अनुशंसित विनिर्देशन आईएस 2796:2008 के भारतीय एमओजीएएस के स्थान पर विनिर्देशन आईएस 2796:2017 के भारतीय एमओजीएएस का उपयोग।	2024	750000
5.	रेड बर्ड फ्लाइंग ट्रेनिंग	टेकनम में निर्माता द्वारा अनुशंसित विनिर्देशन आईएस 2796:2008 के भारतीय एमओजीएएस के स्थान पर विनिर्देशन आईएस 2796:2017 के भारतीय एमओजीएएस का उपयोग।	2024	1500000
6.	स्काईनेक्स एयरो प्राइवेट लिमिटेड	टेकनम में निर्माता द्वारा अनुशंसित विनिर्देशन आईएस 2796:2008 के भारतीय एमओजीएएस के स्थान पर विनिर्देशन आईएस 2796:2017 के भारतीय एमओजीएएस का उपयोग।	2024	750000